*ई–मेल,
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/नि०भ०–13–01/2015 45 /न०वि०एवंआ०वि०

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 29/8/18

विषयः– **विभागीय संकल्प सं०– 2992 दिनांक– 10.06.2015 के आलोक में नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के निर्वाचित एवं पदासीन वार्ड पार्षद, श्री मनोज कुमार की आपराधिक घटना में की गई हत्या की स्थिति में उनके आश्रित पत्नी श्रीमती वीणा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

विभागीय संकल्प सं०– 2992, दिनांक– 10.06.2015 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि नगर निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के पदासीन रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यह स्वीकृति संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दी जाएगी।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक– 152/जि०पं०, दिनांक– 06.07.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री मनोज कुमार, पकड़ीदयाल नगर पंचायत के वार्ड नं०– 05 के निर्वाचित वार्ड पार्षद–सह–उपाध्यक्ष अपने पद पर पदासीन थे। दिनांक– 18.01.2017 को अज्ञात अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रित पत्नी श्रीमती वीणा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) का भुगतान कर दिया गया है। विभागीय संकल्प के अनुसार अनुग्रह अनुदान की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है।

3. विभागीय संकल्प सं०– 2992, दिनांक– 10.06.2015 के प्रावधान एवं जिला पदधिकारी, पूर्वी चम्पारण की अनुशंसा के आलोक में पकड़ीदयाल नगर पंचायत के निर्वाचित एवं पदासीन वार्ड पार्षद श्री मनोज कुमार की आपराधिक घटना में हुई हत्या की स्थिति में उनके आश्रित पत्नी श्रीमती वीणा देवी को अनुग्रह अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

**अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र।**

***इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।***

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे,** जिनके द्वारा बिहार कोषागार संहिता

2011 के संगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के पश्चात् टी०भी० नं० तिथि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित महालेखाकार, बिहार एवं सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0102–नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु विपत्र कोड– **48-2217031930102,** विषय शीर्ष–0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन से की जाएगी।

6. राशि की निकासी के उपरांत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत, पकड़ीदयाल द्वारा स्वर्गीय मनोज कुमार की आश्रित पत्नी श्रीमती वीणा देवी को पूर्व में किए गए भुगतान की राशि से समायोजन कर लिया जायेगा एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 1496, दिनांक– 22.02.08 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं० 2ब०/नि०भ०–13–01/2015 के पृष्ठ सं०–23/टि० पर दिनांक–24.08.2018 को प्राप्त है तथा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ सं०–23/टि० पर दिनांक–27.08.2018 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

28.08

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/नि०भ०–13–01/2015 45 /न०वि०एवंआ०वि/पटना, दिनांक–29/08/18

**प्रतिलिपिः**– प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय एम०आई०एस० कोषांग, इन्दिरा भवन, पटना को आवंटन के अनुश्रवण हेतु/विभागीय सी०जी०आर०सी० को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.08.18

**सरकार के विशेष सचिव।**